

# केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)

श्री साई तारा कॉम्पलेक्स, आई0ए0एस0 कॉलनी, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,  
पटना-801503

(वेबसाइट- [www.csbc.bih.nic.in](http://www.csbc.bih.nic.in))

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग, बिहार सरकार में परिधापक  
के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना ।

आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि-30.10.2015 (शुक्रवार)

## विज्ञापन संख्या-05/2015

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग, बिहार  
सरकार में परिधापक के पद (वेतनमान 5200-20200+ग्रेड पे  
1800) की रिक्तियों की संख्या-12 (बारह) है।

इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-05/2015 यहाँ जारी  
किया जा रहा है ।

गृह विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-4713, दिनांक-  
09.04.2010 द्वारा निर्गत “बिहार कारा परिधापक सम्बर्ग नियमावली, 2010” में  
वर्णित प्रावधान के आलोक में केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा उक्त रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की  
प्रक्रिया की जायेगी । उक्त अधिसूचना पर्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता :- दिनांक 01.01.2015 अथवा इसके पूर्व किसी भी  
राज्य शासन / केन्द्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड / पर्षद से प्रवेशिका / मैट्रिक की  
परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए ।

अभ्यर्थियों की तकनीकी योग्यता :- दिनांक 01.01.2015 अथवा इसके पूर्व सरकारी  
संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परिधापक पद हेतु एक वर्ष का  
प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।

स्वास्थ्य :- अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ।

**अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक 01 जनवरी 2015 को):**

- (1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष ।
- (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष ।
- (3) अनारक्षित (सामान्य), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष ।
- (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए ।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, आदि के लिए कट-ऑफ तिथि 01 जनवरी 2015 निर्धारित की गयी है ।

**भर्ती हेतु प्रक्रिया :-**

प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जायेगी । “बिहार कारा परिधापक सम्वर्ग नियमावली, 2010” की अनुसूची-“क” में वर्णित प्रावधान के अनुसार लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा ।

**अंतिम सूचीकरण :-** लिखित परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में कुल प्राप्तांकों के आधार पर रिक्तियों को भरने हेतु मेधा क्रमानुसार सूची तैयार की जायेगी एवं इस प्रकार तैयार की गयी सूची कारा महानिरीक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी ।

**पाठ्यक्रम -** लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम पर्सद की वेबसाइट पर देखा जा सकता है तथा वहाँ से Download किया जा सकता है ।

**आरक्षण :-** बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे एवं इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा ।

अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में की जायेगी । तदनु रूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा लागू होगी ।

**रिवित :-**

<b>श्रेणी / कोटि</b>		<b>पदों की संख्या</b>
अनुसूचित जाति	-	01
अनुसूचित जनजाति	-	01
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	-	02
पिछड़ा वर्ग	-	00
पिछड़े वर्गों की महिलाएँ (3%)	-	01
अनारक्षित (सामान्य)	-	07
<b>कुल योग</b>	<b>-</b>	<b>12</b>

**नोट:-** 'पिछड़े वर्गों की महिलाएँ (3%)' में सम्मिलित हैं : अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यन्त पिछड़े वर्ग (EBC) तथा पिछड़े वर्ग (BC) की महिलाएँ।

**ऑनलाइन आवेदन-पत्र :-** कारा परिधापक के पद पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । दिनांक-08.09.2015 (मंगलवार) से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट - [www.csbc.bih.nic.in](http://www.csbc.bih.nic.in) पर विस्तार से बताया गया है । सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा । ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति में आवेदन-पत्र के मूल्य को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा ।

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 450/- (चार सौ पचास) रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 200/- (दो सौ) रुपये निर्धारित किया गया है ।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों से Online Transaction से संबंधित प्रोसेसिंग चार्ज (Processing Charges) एवं इस पर सर्विस टैक्स (Service Tax) के रूप में अलग से उपयुक्त राशि ली जायेगी । उपरोक्त सभी राशि का भुगतान ऑनलाइन करना होगा ।

**ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश :-**

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें । यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद की वेबसाइट [www.csbc.bih.nic.in](http://www.csbc.bih.nic.in) पर जाकर Home (Prisons) Dept. के Tab पर क्लिक करेंगे । इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन-पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी का पंजीकरण किया जाता है । इस क्रम में अभ्यर्थी से उनका मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल लिया जाता है तथा इन दोनों के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ भेजी जाती हैं । मोबाइल नम्बर का प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करते हैं । अतः पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल अनिवार्य है । अभ्यर्थी द्वारा अपनी ई-मेल आइडी (e-mail Id) को अँग्रेजी के छोटे अक्षरों में प्रविष्ट करना है जो अनिवार्य है । यदि आपकी अपनी ई-मेल आइडी (e-mail Id) नहीं है तो इस स्थिति में अपनी ई-मेल आइडी (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में शुल्क के भुगतान संबंधी अथवा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई-मेल आइडी (e-mail Id) पर दी जायेंगी ।

पंजीकरण करने के पश्चात अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र के मूल्य एवं (प्रोसेसिंग चार्ज + Service Tax) का ऑनलाइन भुगतान करना होगा । तत्पश्चात अभ्यर्थी के मोबाइल नम्बर पर एक SMS भेजा जायेगा जिसमें उनके द्वारा सफलतापूर्वक पंजीकरण किये जाने की सूचना के साथ पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा जिसका प्रयोग आवेदन-पत्र भरने के आगे के चरणों में किया जायेगा ।

एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा । आवेदन-पत्र भरते समय मोबाइल नम्बर अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा ।

एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है । किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

आवेदन-पत्र भरने के पश्चात अभ्यर्थी को अपना भरा हुआ आवेदन-पत्र A/4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) करना होगा । प्रिंट किये गये आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी अपना हाल का (एक माह के अंदर का) खींचा हुआ रंगीन फोटो चिपकायेंगे । आवेदन-पत्र पर मुद्रित 'घोषणा' के नीचे दिये गये दो बॉक्स के अन्दर अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर क्रमशः अँग्रेजी एवं हिन्दी में करेंगे । तत्पश्चात फोटो लगे एवं हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र को स्कैन करने के उपरान्त अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपलोड (Upload) कर देंगे । सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर SMS भेज कर इसकी सूचना दी जायेगी । इसके साथ ही आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी ।

आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे दिनांक-01.01.2015 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं।

अभ्यर्थी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन-पत्र में अपनी जन्म तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता, आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरें। प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो आवेदक/आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

आवेदन-पत्र में यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के आवेदक स्वयं को पिछड़ा वर्ग (BC) या पिछड़ा वर्ग (BC) के आवेदक स्वयं को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के रूप में घोषित करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। इसी प्रकार यदि अनुसूचित जाति (SC) के आवेदक स्वयं को अनुसूचित जनजाति (ST) या अनुसूचित जनजाति (ST) के आवेदक स्वयं को अनुसूचित जाति (SC) के रूप में घोषित करते हैं तो उनकी भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः ऐसे आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा जाति में हैं।

आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की वेबसाइट- [www.csbc.bih.nic.in](http://www.csbc.bih.nic.in) एवं बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।

**महत्वपूर्ण निर्देश :-**

भरे गये आवेदन-पत्र को केन्द्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Application Form Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र (फोटो सहित) की मूल/छायाप्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। केन्द्रीय चयन पर्षद से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

**ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि :-**

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि-30.10.2015 (शुक्रवार) निर्धारित है एवं इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा।

आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदन-पत्रों के जाँचोपरान्त आगे के कार्यक्रम के संबंध में विधिवत सूचना समाचार-पत्रों के माध्यम से यथासमय दी जायेगी।

**अध्यक्ष**

केन्द्रीय चयन पर्षद,  
बिहार, पटना।